न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **जीतू कुलहरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **317/2021** दायर दिनाँक **06.12.2021**

वादी

1. भागुराम पुत्र मंगाराम जाति जाट उम्र 74 वर्ष निवासी माणकसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना
2. टीकुराम पुत्र चुनाराम
3. मानाराम पुत्र पीथाराम
4. सोहनराम पुत्र पीथाराम
5. बालुराम पुत्र पीथाराम
6. बुद्धाराम पुत्र पीथाराम
7. भगवानाराम पुत्र पीथाराम
8. देवाराम पुत्र मंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण माणकसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादी।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **28.03.2023**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी की निम्न भूमियां ग्राम मोडियावट पटवार हल्का फोगड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 127 रकबा 2.76 हैक्टे0, उक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादी भागुराम का 1/3 का 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा सं0 133 रकबा 7.17 हैक्टे0, खसरा सं0 134 रकबा 2.66 हैक्टे0 भूमि में वादी भागुराम का 1/2 भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह है कि उपरोक्त भूमियों में पहले खातेदारी वादी के पिता मंगाराम के नाम से दर्ज थी तथा कब्जा काश्त वादी के पिता का था। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमियों की खातेदारी में संयुक्त रूप से नामान्तरण वादी के नाम हो गया। परन्तु राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश वादी के बाल्यकाल का घर का नाम भागीरथ राम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया। जबकि वादी का उक्त नाम केवल बाल्याकाल में लाड़ प्यार से घर का नाम ही था। जबकि वादी का वास्तविक नाम भागुराम पुत्र मंगाराम ही है और वह इसी नाम से बचपन के बाद जाना व पहचाना जाता है रहा है। राशन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी वादी का नाम भागुराम ही दर्ज है। बाल्याकाल बीतने के बाद [illegible] नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। अब वादी की पहचान [illegible] के नाम से नही है। प्रतिवादी सं0 3 ता 7 के [illegible] 07 वर्ष पहले हो गया है। प्रतिवादी [illegible] नही हुआ है। फिर भी इन्हे बतौर पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है:–

यह है कि वादी के बाल्याकाल का नाम भागीरथ राम हटाकर उसके स्थान पर भागुराम पुत्र मंगाराम राजस्व अभिलेख में अंकित करने की क्रिी वादी के पक्ष में पारित करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/564 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोडियावट पटवार हल्का खसरा सं0 127 ग्राम मोडियावट में भागुराम पुत्र मंगाराम व भागीरथ पुत्र मंगाराम दोनो एक ही व्यक्ति है प्रस्तुत दस्तावेजो व मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में भागीरथराम के स्थान पर भागुराम पुत्र मंगाराम दर्ज किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादीं की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः वाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर वादी के सरहद ग्राम मोडियावट के वर्तमान खेत खसरा सं0 127 रकबा 2.76 हैक्टे0 भूमि में तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/564 दिनांक 16.2.2023 के साथ संलग्न मौका पर्चानुसार भागुराम पुत्र मंगाराम व भागीरथ राम पुत्र मंगाराम एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकर्ड में भागीरथराम के स्थान पर भागूराम पुत्र मंगाराम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/564 दिनांक 16.02.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुल्हरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक-कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **जीतू कुलहरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **317/2021** दायर दिनाँक **06.12.2021**

वादी

1. भागुराम पुत्र मंगाराम जाति जाट उम्र 74 वर्ष निवासी माणकसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना
2. टीकुराम पुत्र चुनाराम
3. मानाराम पुत्र पीथाराम
4. सोहनराम पुत्र पीथाराम
5. बालुराम पुत्र पीथाराम
6. बुद्धाराम पुत्र पीथाराम
7. भगवानाराम पुत्र पीथाराम
8. देवाराम पुत्र मंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण माणकसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **28.03.2023**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थोरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वादी के सरहद ग्राम मोडियावट के वर्तमान खेत खसरा सं0 127 रकबा 2.76 हैक्टे0 भूमि में तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/564 दिनांक 16.2.2023 के साथ संलग्न मौका पर्चानुसार भागुराम पुत्र मंगाराम व भागीरथ राम् पुत्र मंगाराम एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकर्ड में भागीरथराम के स्थान पर भागूराम पुत्र मंगाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/564 दिनांक 16.02.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.03.2023** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner